बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक..................................

श्री प्रभाष कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–894/11) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो, भोजपुर को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 14.06.2017 को 20,000 (बीस हजार) रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–44/17, दिनांक 14.06.2017 धारा–7/13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के ज्ञापांक–1650, दिनांक 20.06.2017 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम–9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री कुमार को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 14.06.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत/कारा से मुक्त होने पर भी इनका निलंबन यथावत् रहेगा तथा इसके अनुपालन में ये उक्त निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान करेंगे।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/नि०था०–11–08/2017,सा०प्र०,8300**/पटना, दिनांक**7-7-17

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/कोषागार पदाधिकारी, आरा/श्री प्रभाष कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–894/11) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो, भोजपुर (सम्प्रति आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में संसीमित)/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14/चारित्री कोषांग एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.07.17

सरकार के अवर सचिव।